प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.03.2026

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

आज दिनांक 29.03.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त सचिन पुत्र करनवीर निवासी सुदामापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त द्वारा पैट्रोल पम्प पर पूर्व से तेल डलवा रहे व्यक्ति से पहले पैट्रोल डलवाने को लेकर सेल्समैन के साथ गाली-गलौज करना व अपनी पैंट से अवैध तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 352/351(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मुझे ये तमंचा परतापुर रिठानी मेरठ में शमशान घाट के पास पडा हुआ मिला था जिसे मैंने रौब दिखाने के लिए अपने पास रखा हुआ था। मेरी व मेरे दोस्त आकाश की पैट्रोल पम्प पर सेल्समैन के साथ पैट्रोल पहले भरवाने को लेकर बहस हो गयी थी जिसे डराने के लिये मैंने तमंचा निकालकर उसे धमकाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र करनवीर निवासी सुदामापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र राकेश निवासी सुदामापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 21.03.2026 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त शिवम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम इन्दरगढ़ी निकट देवनन्दनी अस्पताल हापुड़ उम्र करीब 25 वर्ष द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर सुसंगत धारा- 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात सुरागरसी पतारसी करते हुये पीड़िता को बरामद किया गया। विवेचना व संकलित साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त में धारा-65(1)/87 बीएनएस व धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 28.03.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त शिवम पुत्र राजकुमार उपरोक्त को मैक्सवेल तिराहा गोविन्दपुरम से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त शिवम उपरोक्त ने बताया कि वह जनपद हापुड का रहने वाला है गाजियाबाद में हलवाई की दुकान पर काम करता था और वादी के पडोस में किराये पर रहता था पीडिता से मेरी दोस्ती हो गयी थी, मैं मौका पाकर उसे अपने साथ लेकर चला गया था तथा उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम इन्दरगढ़ी निकट देवनन्दनी अस्पताल हापुड़ उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 12.01.2026 को थाना अंकुर विहार पर आवेदिका श्रीमती सलमा बेगम द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षी अहमीद द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादिया के मकान पर कब्जा कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धारा-329(3)/329(4)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.03.2026 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त अहमीद पुत्र मांगे खान निवासी मूल पता- पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली, हाल पता - राजीव गाँधी नगर मुस्तफाबाद गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैंने लालच में आकर मकान पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत धोखाधडी से फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अहमीद पुत्र मांगे खान निवासी मूल पता- पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली, हाल पता- राजीव गाँधी नगर मुस्तफाबाद गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.08.2025 को थाना लोनी पर वादी श्री विवेक सिंहल निवासी संयोगनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण अज्ञात द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी कर प्लाट के फर्जी व कूटरचित कागजात तैयार करना व गाली-गलौज करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा- 318(4),338,336(3),340(2),329(4),351(2),352,61(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त सुन्दर पुत्र श्याम सिंह निवासी रामपार्क एक्सटेंशन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 28.03.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुन्दर पुत्र श्याम सिंह निवासी रामपार्क एक्सटेंशन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं व रहीसू पुत्र बून्दू निवासी ईदगाह रोड मुरादनगर गाजियाबाद साथ में प्रोपर्टी का काम करते है। रहीसू उपरोक्त ने सावित्री देवी पत्नी ओम प्रकाश निवासी भजनपुरा दिल्ली से मुझे बुलवाया था फिर हम तीनों ने मिलकर एक फर्जी मुख्तारनामा तैयार किया जिसके अनुसार वादी विवेक सिंघल ने सावित्री देवी के पक्ष में खसरा न0 1525/26 बन्थला फ्लाई ओवर के पास मे 900 वर्ग गज नाम कर दी है तथा सावित्री देवी से रहीसू व मैंने अपने पक्ष में उस 900 वर्ग गज जमीन का एक मुख्तारनामा करा लिया व रजिस्ट्री करवा लिया उस आधार पर मैंने व रहीसू ने जमीन बेची।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सुन्दर पुत्र श्याम सिंह निवासी रामपार्क एक्सटेंशन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता -

1.रहीसू पुत्र बून्दू निवासी ईदगाह रोड मुरादनगर गाजियाबाद।

2.सावित्री देवी पत्नी ओम प्रकाश निवासी भजनपुरा दिल्ली।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।